महालेखाकार का कार्यालय(लेखापरीक्षा-I),केरल,तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM

सं.का.स्था.(हक.)/लेखापरीक्षाI/ 2020-21/ या.रि.भ. Date दिनांक: 20.11.2020
No. OE(Entt)/Audit I/2020-21/LTC

परिपत्र/CIRCULAR No. 49

विषय /Sub: ब्लॉक 2018-21 के दौरानकेन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत किराए के बदले में विशेष नकद पैकेज ।
Special Cash Package equivalent in lieu of Leave Travel Concession Fare for Central Government Employees during the Block 2018-21

संदर्भ/ Ref: वित्त मंत्रायल के दिनांक 12.10.2020, 20-10-2020, 4.11.2020 एवं 10.11.2020 का का.ज्ञा.सं.12(2)/2020-EII(A)
OM No.12 (2)/2020-EII (A) dated 12-10-2020, 20-10-2020, 4-11-2020 and 10-11-2020 of Ministry of Finance

कोविड 19 महामारी के मद्देनज़र वित्त मंत्रालय नेकेन्द्र सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपभोग को प्रोत्साहित एवं क्षतिपूर्ति करने हेतु, जिसके द्वारा उपभोग व्यय को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक 2018-21के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत किराए के बदले में समान विशेष नकद पैकेज घोषित किया है । यह निर्णय लिया गया है कि हकदार छु.या.रि. के छु.या.रि. किराए एवं अवकाश नकदीकरण समाहित छु.या.रि.के समतुल्य राशि प्रतिपूर्ति के द्वारा अदा किया जाए यदि कोई कर्मचारी ब्लॉक 2018-21में एक छु.या.रि. के बदले मेंयह विकल्प चुनता है तो निम्नोक्त शर्तें लागू होंगी-

In view of the Covid-19 pandemic Ministry of Finance has announced Special Cash Package equivalent in lieu of Leave Travel Concession Fare for Central Government Employees during the Block 2018-21 to compensate and incentivise consumption by Central Government employees thereby giving a boost to consumption expenditure. It has been decided that cash equivalent of LTC, comprising Leave Encashment and LTC fare of the entitled LTC may be paid by way of reimbursement, if an employee opts for this in lieu of one LTC in the Block of 2018-21 subject to the following conditions:

1. कर्मचारी वास्तविक व्यय पर अपने हकदारीया.रि.भ.की राशिसे अधिक राशि व्यय करेगा ।
The employee spends the money of a larger sum than the entitlement on account of LTC on actual expenditure.
2. पूर्ण अवकाश नगदीकरण के समान राशि अनुमत है बशर्ते कर्मचारी समान राशि खर्च करता है । यह एक कर्मचारी को उपलब्ध अवकाश यात्रा रियायत पर अवकाश नकदीकरण की संख्या के अनुसार गिना जाएगा।
Cash equivalent of full leave encashment will be allowed, provided the employee spends an equal sum. This will be counted towards the number of leave encashment on LTC available to an employee.
3. इस उद्देश्य के लिए मानितया.रि.भ. किराया निम्नानुसार है ।
The deemed LTC fare for this purpose is given below:

कर्मचारी का वर्ग /**Category of employees**	**प्रति व्यक्ति मानित या किराया .भ.रि. (पराउंड ट्रि) / Deemed LTC fare per person (Round Trip)**
कर्मचारी जो बिज़नेस क्लास से यात्रा करने के लिए हकदार हैं/ Employees who are entitled to business class of airfare	₹36000
कर्मचारी जो इकॉनमी क्लास से यात्रा करने के लिए हकदार हैं/ Employees who are entitled to economy class of airfare	₹20000
कर्मचारी जो किसी भी स्तर की रेल यात्रा के लिए हकदार हैं / Employees who are entitled to Rail fare of any class	₹6000

4. यदि कर्मचारी उपरोक्त किराए के मूल्य का 3 गुना व्यय करता है तो ही उसके समान नकद अनुमत है।
   The cash equivalent may be allowed if the employee spends a sum 3 times of the value of the fare given above.
5. अवकाश नकदीकरण एवं किराए दोनों पर राशि की अनुमति होगी यदि कर्मचारी व्यय करता है 1. यदि अवकाश नकदीकरण के समान राशि व्यय करता है 2.अनुमानित किराए के समतुल्य राशि के उपरोक्त दिए अनुसार राशि की3 गुना राशि व्यय डिजिटल रूप से, जैसा ऊपर दिया गया है, उन वस्तुओं के क्रय पर/उन सेवाओं के उपलब्ध करवाने पर जिन पर कम से कम 12%जी एस टी पंजीकृत विक्रेता/ सेवा प्रदाता से भरा जाए एवं वाउचर प्राप्त करे जिसमें जी एस टी संख्या एवं जी एस टी में अदा की गई राशि का उल्लेख हो।
   The amount both on account of leave encashment and fare shall be admissible if the employee spends (i) an amount equal to the value of leave encashment and (ii) an amount 3 times of the cash equivalent of deemed fare, as given above on purchase of such items/availing of such services which carry a GST rate of not less than 12% from GST registered vendors / service providers through digital mode and obtains a voucher indicating the GST number and the amount of GST paid.
6. स्वीकार्य भुगतान की राशि पैकेज की कुल राशि तक सीमित होगी। (छु.या.रि.के लिए यथा स्वीकार्य अवकाश नकदीकरण/ मानित किराए के लिए अनुमत है) या व्यय पर निर्भर करता है।
   The admissible payment shall be restricted to the full value of the package (leave encashment as admissible for LTC and deemed fare) or depending upon the spending.
7. या.रि.भ. किराए की प्रतिपूर्ति पर टी डी एस कटौती किए जाने हेतु आवश्यकता नहीं होगी।
   TDS shall not be required to be deducted on the reimbursement of deemed LTC fare.
8. इस पैकेज के अंतर्गत दिए गए विवरण के अनुसार विभागाध्यक्ष/ डी डी ओ इस पैकेज को लेने के इच्छुक कर्मचारियोंसे इस आदेश के जारी होने के पश्चात् की अवधि के दौरानकिए गए /उपलब्ध सेवाओं की बीजक की प्राप्ति पर प्रतिपूर्ति की जाए।
   Head of the Departments/DDOs may make reimbursement under this package as per the details given above on receipt of invoices of purchases made / services availed during the period post the issuance of this order from the employees who are desirous to avail this package.
9. अग्रिम के रूप मेंकर्मचारी केबैंक खाते में अवकाश नकदीकरण की100%तक की राशि एवं मानित किराए के मूल्य का 50%अदा किया जाएजो कि वस्तुएं ख़रीदने एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में प्राप्त रसीद को प्रस्तुतीकरण पर निपटाया जाएगा। इस पैकेज के अंतर्गत किए गए दावेकानिपटान(अग्रिम सहित या अग्रिम के बिना) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ही किया जाना है। अग्रिम का उपयोग न करनेया कम उपयोग की दशा में अग्रिम की तत्काल पूर्ण वसूली की जाएगी एवं अग्रिम के अनुपयोगी हिस्से की वसूली दंडात्मक ब्याज सहित होगी।

An amount up to 100% of leave encashment and 50% of the value of deemed fare may be paid as advance into the bank account of employee which shall be settled based on production of receipts towards purchase and availing of goods and services. The claims under this package (with or without advance) are to be made and settled within the current financial year. Non-utilisation/under utilisation of advance will effect immediate recovery of full advance in the case of non-utilisation and recovery of unutilised portion of the advance with penal interest.

10. इस का12.10.2020 जारी होने के दिनांक यथा.ज्ञा. से 31 मार्च 2021 तक प्रभावशाली रहेंगे । These orders will take effect from the date of issuance of the OM, i.e. 12-10-2020 and will be in force till 31 March, 2021.

दिनांक 12.10.2020 के इस का की प्रति एवं दिनांक.ज्ञा.20-10-2020, 4-11-2020 एवं 10-11-2020 को जारी तत्संबंधी स्पष्टीकरण संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

Copy of OM dated 12-10-2020 and clarifications thereon dated 20-10-2020, 4-11-2020 and 10-11-2020 are enclosed herewith for reference.

यह विशेष पैकेज लेने के इच्छुक अधिकारी/ कार्मिक निम्नोक्त दस्तावेज़ों के साथ अपने आवेदन संलग्ननिर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें:

The Officers/Staff who wish to avail this Special Cash Package shall submit the applications along with the following documents in the prescribed format attached herewith:

1. किए गए क्रय/ सेवाओं का बीजक।
   invoices of purchases made/services availed
2. भुगतान संबंधी सहायक दस्तावेज़ जैसे कि बैंक विवरण, थर्मल पेपर की प्रतिइत्यादि ।
   Supporting documents confirming the payment such as bank statement, copy of thermal paper, etc.

अधिकारी / कार्मिक जो यह विशेष पैकेज लेना चाहते हैं एवं का.ज्ञा.में दी गईं शर्तों के अनुसार अग्रिम राशि का उपयोग करने एवं अनिवार्य व्यय करने में जिन्हें विश्वास हैअग्रिम अपने आवेदन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें। एक बार प्रस्तुत किए गए एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किए आवेदन सामान्य, साधारण एवं आकस्मिक कारणों की वजह से वापस नहीं लिए जा सकेंगे। अग्रिम की राशि की मंज़ूरी नि.म.ले.प कार्यालय द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार होगी।

The Officers/Staff who wish to avail this Special Cash Package and are sure of utilising the amount of advance and incur the mandatory expenditure as per the conditions stipulated in the OMs may submit the application for advance in the prescribed format attached herewith. The applications once submitted and considered by the Competent Authority shall not be withdrawn under normal circumstances for the simple, common and casual reasons. The amount of advance will be sanctioned subject to funds sanctioned by CAG's office.

(दिनांक 16.11.2020 के उप महालेखाकार (प्रशा./लेखापरीक्षा-I) के आदेशानुसार)

(Vide orders of Sr. Deputy Accountant General (Admn)/Audit-I dated 16.11.2020)

Sd/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / हक. (लेखापरीक्षा-I)

SENIOR AUDIT OFFICER/Entt (Audit I)

ब्लॉक वर्ष 2018-21के दौरान एलटीसीकिराए के स्थान पर समतुल्य विशेष नक़द पैकेजका लाभ लेने के लिए अग्रिम हेतु आवेदन

APPLICATION FOR ADVANCE TO AVAIL SPECIAL CASH PACKAGE EQUIVALENT IN LIEU OF LTC FARE DURING BLOCK YEAR 2018-21

1. सरकारी कर्मचारी का नाम व पदनाम :
   Name and designation of the Government Servant
2. मूल वेतन Basic pay :
3. वेतन स्तरPay level :
4. स्थाई अथवा अस्थाई Whether permanent or temporary :
5. संपर्क नंबर/ दूरभाषPersonal contact number :
6. अधिवर्षिता की तिथि Date of Superannuation :
7. क्या छुट्टी के नकदीकरण की मांग की गई है (हाँ/नहीं) :
   Whether propose to avail leave encashment (Yes/No)
8. सेवा पुस्तिका में दर्ज गृह नगर :
   Home town as recorded in Service Book
9. क्या पति/पत्नी सेवारत है, यदि सेवारत है,क्या एलटीसी के हकदार है,यदि हकदार है,क्या उन्होंने कोई दावा किया है :
   Whether wife/husband is employed
   If employed, whether entitled to LTC
   If entitled to LTC, whether he/she preferred any claim
10. प्रत्याशित व्यय Anticipated expenditure :
11. अपेक्षितअग्रिमराशि(परिवार के प्रत्येक सदस्यजिनके लिए विशेष नकद पैकेज का लाभ उठाने का प्रस्ताव है अनुमानित किरायेके मूल्य का अधिकतम 50%) :
    Amount of advance required (upto a maximum of 50% of value of deemed fare for each family member in respect of whom special cash package is proposed to be availed of)
12. परिवार के सदस्यों के ब्यौरे जिनके संबंध में एलटीसी के स्थान विशेष नक़द पैकेज का लाभ लेने का प्रस्ताव है
    Details of family members in respect of whom Special Cash package in lieu of LTC is proposed to be availed of :

क्रम सं. Sl. No.	नाम Name	आयु Age	संबंध Relationship	मासिक आय व स्रोत(पेंशन सहित) Monthly income and source (including pension)	इस पैकेज हेतु प्रस्तावित, गृह नगर/ ऑल इंडिया Home town/All India proposed to be availed for this package	लाभ हेतु ब्लॉक अवधि Block period to be availed
1.						
2.						
3.						
4.						

13. **प्रमाणपत्र/घोषणा CERTIFICATE / DECLARATION**

a) मैंअग्रिम राशि का व्यय ऐसी वस्तुओं की खरीद/ऐसी सेवाएँ लेने का वचन देता हूँ, जो जीएसटी नंबर और जीएसटी राशि दर्शाने वाला वाउचर केभुगतान द्वारा और डिजिटल मोड के माध्यम से जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं / सेवा प्रदाताओं से कम से कम 12% की जीएसटी दर लिया जाए।

I undertake to spend the advance amount for the purchase of such items/availing of such services which carry a GST rate of not less than 12% from GST registered vendors/service providers through digital mode and obtain a voucher indicating the GST number and the amount of GST paid.

b) मैंआवेदन को रद्द होने स्थिति में या निर्धारित समय सीमा के भीतर वैध रसीदों प्रस्तुत करने में विफल रहता हूं, तो मैं एकमुश्त पूरी अग्रिम राशि को ब्याज के साथ वापस करने का वचन देता हूं।

In the event of cancellation of the application or if I fail to produce the valid receipts within the stipulated time frame, I undertake to refund the entire advance in one lump sum along with penal interest as applicable.

c) प्रमाणित किया जाता है कि परिवार के सदस्य जिनके लिए एलटीसी अग्रिम का आवेदनकिया है, वे पूरी तरह मुझ पर से निर्भर हैं और मेरे साथ रहते हैं।

Certified that the family members for whom LTC advance is applied, are wholly dependent on me and residing with me.

d) प्रमाणित किया जाता है किजिनके लिए मेरे द्वारा एलटीसी का दावा किया गया है, यदि वह अपने कार्यालय में ऐसा करने के लिए पात्र हैं तो वे इस संबंध में कोई भी दावा नहीं करेंगे।

Certified that my wife/husband for whom LTC is claimed by me will not prefer any claim in this behalf to his/her office if he is eligible to do so.

e)मैंघोषणा करता हूं कि ऊपर प्रस्तुत विवरण मेरीसर्वोत्तम जानकारी के अनुसारसत्य और सही हैं।

I declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge.

दिनांक/Date:

हस्ताक्षर/ Signature
नाम/Name :
पदनाम/Designation :

ब्लॉक वर्ष 2018-21के दौरान एलटीसी किराया के स्थान पर समतुल्य विशेष नक़द पैकेजका लाभ लेने हेतु आवेदन

APPLICATION FOR AVAILING SPECIAL CASH PACKAGE EQUIVALENT IN LIEU OF LTC FARE DURING BLOCK YEAR 2018-21

1. सरकारी कर्मचारी का नाम व पदनाम :
   Name and designation of the Government Servant
2. मूल वेतन Basic pay :
3. वेतन स्तरPay level :
4. स्थाई अथवा अस्थाई Whether permanent or temporary :
5. वैयक्तिक संपर्क नंबर/ दूरभाषPersonal contact number :
6. अधिवर्षिता की तिथि Date of Superannuation :
7. क्या छुट्टी के नकदीकरण प्रस्तावित है/लाभ उठाया है (हाँ/नहीं) :
   Whether propose to avail/availed leave encashment (Yes/No)
8. सेवा पुस्तिका में दर्ज गृह नगर :
   Home town as recorded in Service Book
9. क्या पति/पत्नी सेवारत है, यदि सेवारत है,क्या एलटीसी के हकदार है :
   Whether wife/husband is employed and if so whether entitled to LTC
10. अग्रिम राशि, यदि ली गई हो Amount of advance if drawn :
11. किए गए व्यय का ब्यौरा Details of expenditure made :

क्रम सं. Sl.No.	**खरीदी गई सामग्री का विवरण Particulars of items purchased**	**बिल सं. एवं तिथि Bill no. and date**	**जीएसटी प्रतिशत Percentage of GST**	**भुगतान का तरीका Mode of payment**	**व्यय की गई राशि Amount Expended Rs.**
1.					
2.					
3.					

12. परिवार के सदस्यों के ब्यौरे जिनके संबंध में एलटीसी के बदले विशेष नक़द पैकेज का लाभ लेने का प्रस्ताव है
    Details of family members in respect of whom Special Cash package in lieu of LTC is proposed to be availed of :

क्रम सं. Sl.No.	नाम Name	आयु Age	संबंध Relationship	मासिक आय व स्रोत(पेंशन सहित) Monthly income and source (including pension)	इस पैकेज हेतु प्रस्तावित, गृह नगर/ऑल इंडिया Home town/All India proposed to be availed for this package	लाभ हेतु ब्लॉक अवधि Block period to be availed
1.						
2.						
3.						
4.						

13. **प्रमाणपत्र/घोषणाCERTIFICATE / DECLARATION**

a) प्रमाणित किया जाता है कि परिवार के सदस्य जिनके लिए एलटीसी अग्रिम का आवेदनकिया है, वे पूरी तरह मुझ पर से निर्भर हैं और मेरे साथ रहते हैं।

Certified that the family members for whom LTC advance is applied are wholly dependent on me and residing with me.

b) प्रमाणित किया जाता है किजिनके लिए मेरे द्वारा एलटीसी का दावा किया गया है, यदि वह अपने कार्यालय में ऐसा करने के लिए पात्र हैं तो वे इस संबंध में कोई भी दावा नहीं करेंगे।

Certified that my wife/husband for whom LTC is claimed by me will not prefer any claim in this behalf to his/her office if he is eligible to do so.

c) मैंघोषणा करता हूं कि ऊपर प्रस्तुत विवरण मेरीसर्वोत्तम जानकारी के अनुसारसत्य और सही हैं।

I declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge.

दिनांक/Date:

हस्ताक्षर/ Signature

नाम/Name :

पदनाम/Designation :